



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)

Sugandha Bhavan

N.H.By-pass

P.B.No. 2277

Palarivattom P.O.

Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगन्ध भवन

एन.एच.बाईपास

पी.बी. नं. 2277

पालारिवट्टम पी.ओ.

कोच्ची - 682 025, भारत

दिनांक: 01 जनवरी 2026

परिपत्र संख्या 05/2025-26

विषय: मसालों और मसाला उत्पादों का यूके को निर्यात - 01 जनवरी 2026 से आधिकारिक प्रमाणपत्र की आवश्यकता के संबंध में

- संदर्भ: 1. यूके विनियमन 2025 संख्या 1162- "आधिकारिक नियंत्रण (गैर-पशु मूल के उच्च जोखिम वाले भोजन और चारे का आयात)(विनियमन(ईयू) 2019/1793 का संशोधन (इंग्लैंड) विनियम 2025" दिनांक 3 नवंबर 2025
2. इस कार्यालय का परिपत्र संख्या 24/2022-23, दिनांक 23 मार्च 2023
3. इस कार्यालय का परिपत्र संख्या 17/2023-24 दिनांक 14 मार्च 2024
4. इस कार्यालय का परिपत्र संख्या 20/2024-25 दिनांक 10 दिसंबर 2024
5. इस ऑफिस की ट्रेड एडवाइजरी 01/2025-26, दिनांक 25 नवंबर 2025

यूनाइटेड किंगडम (UK) सरकार ने 3 नवंबर 2025 को रेगुलेशन 2025 नंबर 1162, "ऑफिशियल कंट्रोल्स (हाई-रिस्क फूड और नॉन-एनिमल ओरिजिन के फीड का इंपोर्ट) (इंग्लैंड) रेगुलेशन 2025" को नोटिफाई किया है जो तीसरे देशों से यू के में कुछ सामानों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले आधिकारिक नियंत्रण व आपातकालीन उपायों में कुछ समय के लिए बढ़ोतरी से जुड़े कमीशन इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन (ईयू) 2019/1793 में बदलाव करता है। यह रेगुलेशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके अनुसार, स्पाइसेस बोर्ड ने संदर्भ (5) के तहत व्यापार सलाह जारी की है।

ऊपर बताए गए परिपत्र के मुताबिक, यूके को निर्यात की जाने वाली नीचे दी गई चीजों को तुरंत स्पाइसेस बोर्ड के अनिवार्य नमूनन और परीक्षण कार्यक्रम के तहत लाया गया है। यह यू के में अलग-अलग उत्पादों के लिए बोर्ड के अनिवार्य नमूनन और परीक्षण कार्यक्रम के तहत मौजूदा ज़रूरत के अलावा है, जैसा कि संदर्भ 2 से 4 में बताया गया है।

वस्तुएँ	कमोडिटी कोड	पैरामीटर
सौंफ, बदायन , सौंफ, धनिया, जीरा, स्याहजीरा के बीज; जुनिपर बेरीज़	0909	नाशीजीवनाशक अवशेष X और एथिलीन ऑक्साइड*
अदरक, केसर, हल्दी (करकुमा), थाइम, तेजपत्ता, करी पाउडर और अन्य मसाले	0910	नाशीजीवनाशक अवशेष X और एथिलीन ऑक्साइड*

*एथिलीन ऑक्साइड - एथिलीन ऑक्साइड के अवशेष (एथिलीन ऑक्साइड और 2-क्लोरो-इथेनॉल का योग, एथिलीन ऑक्साइड के रूप में व्यक्त किया गया

आधिकारिक प्रमाणपत्र स्पाइसेस बोर्ड की स्पष्ट विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाएगा और सिर्फ ऐसे खेप को ही यूके में निर्यात करने की अनुमति होगी।

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 और स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम 1989 के नियमों के तहत जारी यह परिपत्र तुरंत लागू होगा और तब तक लागू रहेगा जब तक स्पाइसेस बोर्ड इस बारे में आगे कोई दिशानिर्देश / निर्देश जारी नहीं करता।

इसलिए, सभी निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण सावधानी बरतें, और अपने प्रचालन की योजना इस तरह करें कि इन ज़रूरतों का पालन पक्का हो सके।

इस अधिनियम का असर: नाशकजीवनाशी अवशेष और इटीओ की जांच और स्पाइसेस बोर्ड से अदरक, केसर, हल्दी, थाइम, तेजपत्ता, करी पाउडर, और एच एस कोड 0910 के तहत आने वाले दूसरे मसालों, सौंफ, बदायूं, सौंफ, धनिया, जीरा या कैरवे के बीज; एच एस कोड 909 के तहत आने वाले जुनिपर बेरीज़ के यू के में एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस ज़रूरी कर दिया गया है और इसके लिए तुरंत आधिकारिक प्रमाणपत्र की ज़रूरत होगी।

बशिरत मल्लिक
निदेशक (विपणन)

//फाइल नंबर SRD-SS/03/0002/2019 कंप्यूटर नंबर 15622 से जारी//